न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला—अजमेर (राज0)

राजस्व वादपत्र संख्या 37 / 2014

1— मदन पुत्र श्री किशना जाति मेहरात निवासी ग्राम धोलादांता तहसील मसूदा
2— सुलेमान पुत्र अहमदा जी
3— रणजीत पुत्र श्री रामा
4— अनवर पुत्र श्री रामा
5— सलीम पुत्र श्री रामा
6— दाखु पत्नि रामा
7— सायर पुत्र दुला
8— सुल्तान पुत्र दुला
9— नीरू पुत्र दुला
समस्त जाति महेरात निवासी ग्राम हिम्मतारूपारेल तहसील मसूदा जि0अजमेर

————————वादीगण

ब ना म

1— श्रीमति गेन्दी पत्नि अब्दुल
2— श्री गाजी पुत्र हांसा जी
3— छीतर पुत्र हांसा जी
4— मोहन पुत्र हांसा जी
5— पूना पुत्र मोती
6— घीसी पत्नि हीरा
7— कम्मा पुत्र नोरत
8— गणपत पुत्र रेशमा
9— घीसा पुत्र रेशमा
10— बुद्धा पुत्र रेशमा
11— छोटू पुत्र रेशमा
12— मेवा पुत्र रेशमा
13— सोहन पुत्र रेशमा
14— अशरफ पुत्र रेशमा
15— रहमान पुत्र रेशमा
समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम धोलादांता तहसील मसूदा जि0अजमेर
16— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा

——————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

एंव धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

संक्षिप्तः वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा हिमता रूपारेल पटवार क्षैत्र नीमगढ तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 6570 रकबा 00–04–00, 6571 रकबा 00–15–00, 6578 रकबा 01–02–00, 6579 रकबा 03–15–10 स्थित है, उक्त भूमियो के साबिक खसरा नंबर 1764 थे। उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 के नाम दर्ज है, परन्तु वादीगण एंव उसके पूर्वज का कब्जा चला आ रहा है, एंव काश्त भी वादीगण ही कर रहे है, वादीगण का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा अडचन एतराज रूकावट के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इसमें प्रतिवादीगण को भी कोई उज्र या एतराज नही है। वादीगण के पूर्वजो ने प्रतिवादीगण के पूर्वज गेन्दी, रेश्मा, नोरत, हांसा से जरिये पंजीकृत बेचाननामा से कय की एंव मालिकाना हक अधिकार प्राप्त किये उक्त आराजी पर वादीगण के पिता का कब्जा कय करने के दिनांक से ही बिना बाधा अडचन के चला आ रहा है, इस प्रकार वादीगण का कब्जा उनके पिता के जीवनकाल से ही निरन्तर चला आ रहा है।

...........लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी / उपजिला मजिस्ट्रेट
मसूदा (अजमेर) राज.

वादीगण एंव उसके पिता सदभाविक केता होने के कारण लगातार कयशुदा आराजी पर 40 साल से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने कुछ समय पूर्व अपनी आराजी की नकले निकलवाई तब पता चला कि उक्त भूमि वादीगण के नाम कम दर्ज है, फिर वादीगण ने पुरानी जमाबंदीयां एंव मिलान क्षैत्रफल की नकले निकलवाई तब उक्त तथ्य का पता चला कि प्रतिवादीगण के नाम उक्त कयशुदा हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी पंजीकृत बेचाननामा पटवारी को दिखाया एंव प्रतिवादीगण की जगह वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतू निवेदन किया तो पटवारी ने माननीय न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने की कहां इस कारण माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हई है, अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादग्रस्त भूमियो का प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती किये जाने के आदेश पारीत किया जावे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई।

प्रकरण में एकतरफा साक्ष्य वादीगण तलब की गई। साक्ष्य वादी में श्री मदन पुत्र किशना जाति मेहरात ग्राम धोलादाता एंव सायर पुत्र दुला जाति मेहरात निवासी हिमतारूपारेल तहसील मसूदा का शपथ पत्र पेश किया जिन्होने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराया तथा दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गये। प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2067 से 2070 प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2023 से 2026 प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–4, असल बेचाननामा दिनांक 28.3.1972 प्रस्तुत है, जिसकी फोटो कॉपी प्रदर्श–5, असल बेचाननामा दिनांक 19.3.1971 प्रस्तुत है, जिसकी फोटो कॉपी प्रदर्श–6, असल सिजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत है, जिसकी फोटो कॉपीया प्रदर्श– 7–1 से 7–3 है।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 के पूर्वजो द्धारा वादीगण के पूर्वज को विवादित भूमियो के साबिक खसरा नंबर 1764 को पंजीकृत बेचाननामे द्धारा बेचान कर दिया है, और कब्जा वादीगण का गत 40 सालो से अधिक समय से चला आने व खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, जिसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रदर्श–1 विवादित भूमियो को राजस्व नक्शा ट्रेस है, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 235 में वर्णित विवादित भूमिया एंव अन्य खसरान में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम हिस्सो के अनुसार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में विवादित भूमियो के साबिक खसरा नंबर 1764 में अन्य खातेदारान के साथ प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री नोरत, हासा, अब्दुल, पेमा व रेशमा के खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल जिसमे साबिक खसरा नंबर 1764 के हाल खसरान अंकित होना पाया गया। प्रदर्श–5 असल रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 28.3.1972 के अनुसार नोरत व हांसा पिसरान वजीरा उर्फ उजीरा जी मेहरात साकिन धोलादांता का हक हिस्सा जो साबिक खसरा नंबर 1764 में निहित है, उसको किशना पुत्र अजमाल 1 हिस्सा, दुला पुत्र शेरा 1 हिस्सा, रामा व सुलेमान पिसरान अहमदा जी 1 हिस्सा बेचान किया जाना पाया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–6 असल रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 19.3.1971 के अनुसार रेशमा पुत्र गोदा, श्रीमति गेन्दी बैवा अब्दुल जी बहैसियत खुद व बहैसियत वारीस काबिज जायदाद श्री अब्दुल पुत्र गादा मरहूम पति खुद व जुमला मिकरान बहैसियत खुद व बहैसियत वारीसान काबिज जायदाद श्री

...........लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

पेमा उर्फ मेमा पुत्र गोदा ने अपना हक हिस्सा जो साबिक खसरा नंबर 1764 में निहित है, उसको किशना पुत्र अजमाल 1 हिस्सा, दुला पुत्र शेरा 1 हिस्सा, रामा व सुलेमान पिसरान अहमदा जी 1 हिस्सा बेचान किया जाना पाया गया। प्रदर्श–7–1 से 7–3 सिजरा प्रमाण पत्र होना पाया गया। उक्त दस्तावेजी विवचेन के अनुसार प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा विवादित भूमियो के साबिक खसरा नंबर 1764 में जो उनका हक हिस्सा प्रदर्श– 3 जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में निहित चला आ रहा था उसको जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे प्रदर्श– 5 व 6 के अनुसार वादीगण के पूर्वजो का बेचान किया जाना पाया गया। तथा उक्त दोनो बेचाननामो में यह तथ्य भी अंकित है, कि वादीगण का उक्त साबिक खसरा नंबर 1764 में पूर्व में हिस्सा चला आ रहा है, तथा प्रतिवादीगण के पूर्वजो का निहित हक हिस्सा ही बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 स्वीकार किया जाकर मौजा हिमता रूपारेल पटवार क्षैत्र नीमगढ तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 6570 रकबा 00–04–00, 6571 रकबा 00–15–00, 6578 रकबा 01–02–00, 6579 रकबा 03–15–10 की भूमियो में वादीगण के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 के नाम दर्ज चले आ रहे है, उन्हें निरस्त किये जाने का आदेश पारीत किया जाता है, तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपजिला मजिस्ट्रेट
मसूदा (अजमेर) रा.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर • मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.04 17:10:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: